

अध्याय IV : आयकर

4.1 परिचय

4.1.1 यह अध्याय ₹ 416.60 करोड़ के कुल कर प्रभाव के साथ 236⁵¹ निर्धारणों सहित 221⁵² उच्च राशि वाले गैर-निगमित मामलों (संदर्भ पैरा 2.3) की चर्चा करता है जिन्हें अगस्त 2020 से दिसम्बर 2020 के दौरान मंत्रालय को संदर्भित किया गया था। मंत्रालय/आयकर विभाग ने ₹ 256.00 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) वाले 104 मामलों को स्वीकार किया, ₹ 0.77 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) वाले एक मामले को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा ₹ 1.16 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों को स्वीकार नहीं किया। हालांकि, 221 मामलों में से, निर्धारण अधिकारी ने, ₹ 376.14 करोड़ के कर प्रभाव वाले 192 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई पूर्ण की तथा ₹ 25.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले 17 मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की। शेष 12 मामलों में आयकर विभाग ने 15 जुलाई 2021 तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

4.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को निम्नानुसार व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- निर्धारण की गुणवत्ता
- कर रियायत/छूट/कटौती का प्रशासन
- त्रुटियों के कारण आयकर से बचने वाले निर्धारण
- कर/ब्याज के अन्य अधिक प्रभार आदि।

आगामी पैराग्राफ उपरोक्त उल्लेखित त्रुटियों की प्रत्येक श्रेणी के कुछ उदाहरण देते हैं।

4.2 निर्धारण की गुणवत्ता

4.2.1 निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान को अनदेखा करते हुए निर्धारणों में त्रुटियां की। गलत निर्धारण के ये दो मामले, आईटीडी की ओर से आंतरिक नियंत्रणों में लगातार होने वाली कमियों को बताते हैं जिन्हें संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

51 236 निर्धारण मामलों में से, 227 मामलों में है ₹ 391.72 करोड़ का कम प्रभार शामिल है तथा नौ मामलों में ₹ 24.88 करोड़ का अधिक प्रभार शामिल है।

52 एक मामला (डीपी सं. 7-आईटी) कम निर्धारण तथा अधिक निर्धारण की दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत आता है तथा इसलिए इस अध्याय में इस मामले को दो उच्च राशि वाले मामलों के रूप में माना गया है; तथापि, वास्तव में 221 उच्च राशि वाले गैर कॉर्पोरेट मामलों को मंत्रालय को संदर्भित किया गया है।

निम्न तालिका 4.1 त्रुटियों की उप-श्रेणी को दर्शाती है जिसने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किए हैं।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण			
उप-श्रेणियां	मामले	कर प्रभाव (करोड़ में)	राज्य
क. आय तथा कर की संगणना करने में अंकगणतीय त्रुटियां	8	97.88	दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ख. कर अधिभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	33	39.85	असम, यूटी-चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	123	187.24	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार, यूटी-चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
घ. अपीलीय आदेश को प्रभावित करते समय निर्धारण में त्रुटियां	2	0.69	झारखंड और महाराष्ट्र
कुल	166	325.66	

4.2.2 आय तथा कर की संगणना में अंकगणतीय त्रुटियां

हमने चार राज्यों में ₹ 97.88 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों में आय तथा कर की संगणना में अंकगणतीय त्रुटियों को पाया। हमने ऐसे चार निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 यह प्रावधान करता है कि निर्धारण अधिकारी, को निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करना अपेक्षित है तथा कर अथवा प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

मामला । सीआईटी प्रभार : सीआईटी केन्द्रीय-3, दिल्ली
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2011-12 से 2015-16

निर्धारण अधिकारी, ने दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, त्रुटिपूर्वक, प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अदत्त कर की राशि के लिए निर्धारिती को क्रेडिट अनुमत किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 45.60 करोड़ के अदत्त करों का अनुचित क्रेडिट हुआ। इसके अलावा,

निर्धारण अधिकारी ने कथित निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा आयकर रिटर्न (आईटीआर) की देरी/गैर-दाखिल करने के लिए ₹ 22.52 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 68.12 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों (नवम्बर 2019) को स्वीकार किया तथा बताया कि प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए अक्टूबर 2019 में गलतियों का सुधार किया गया था। हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-19, मुम्बई
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2009-10

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 12.24 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 0.41 करोड़ पर निर्धारिती की आय पर कर की संगणना की। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 11.83 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। *विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति का अक्टूबर 2019 में सुधार किया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित है (मई 2021)।

मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी (छूट), भोपाल
स्थिति : एओपी (ट्रस्ट)
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 3.93 करोड़ की निर्धारित आय के स्थान पर ₹ 1.56 करोड़ की आय पर कर उद्ग्रहित किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.08 करोड़ के कम कर के उद्ग्रहण के साथ ₹ 2.36 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को मई 2019 में सुधार लिया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, दिल्ली
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने, फरवरी 2019 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 115.53 करोड़ की सही भुगतान योग्य मांग के स्थान पर ₹ 103.22 करोड़ पर निर्धारिती द्वारा भुगतान योग्य मांग की गलत रूप से संगणना की थी।

इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 12.31 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण किया गया। इसके अलावा, मामलों को मैनुअल रूप से प्रसंस्करित किया गया था न कि एएसटी के माध्यम से। *विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को जुलाई 2019 में सुधार लिया गया था।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

4.2.3 कर तथा अधिभार आदि की गलत दरो का प्रयोग

हमने नौ राज्यों में ₹ 39.85 करोड़ के कर प्रभाव वाले 33 मामलों में कर तथा अधिभार की गलत दरों का प्रयोग पाया। हम ऐसे चार निदर्शी मामले को नीचे दे रहे हैं।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) यह प्रावधान करती है कि आयकर, संबंधित वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, एक निर्धारिती पूर्व वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है।

मामला । सीआईटी : सीआईटी केन्द्रीय 2, दिल्ली
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2017-18

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में कर माँग की संगणना करते समय, 60 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 30 प्रतिशत की दर पर ₹ 14.12 करोड़ की अघोषित आय पर कर प्रभारित किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने, 25 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 15 प्रतिशत की दर से कर पर अधिभार उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 7.36 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नवम्बर 2019 में सुधार लिया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी। (मई 2021)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) यह प्रावधान करती है कि आयकर, संबंधित वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार, कोई निर्धारिती पूर्व वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है। वित्त अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा व्यक्तियों के निकायों के मामलों में संगणना की गई आयकर की राशि चाहे वह निगमित हो या नहीं अथवा प्रत्येक कृत्रिम क्षेत्राधिकार वाला व्यक्ति, सहकारी समिति, फर्म और स्थानीय प्राधिकरण कुल मिला कर ₹ एक करोड़ से अधिक की आय पर निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए ऐसे आय कर पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार की वृद्धि की जाएगी।

मामला II सीआईटी प्रभार : सीआईटी (छूट) बेंगलुरु
स्थिति : एओपी (ट्रस्ट)
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय कर पर 10 प्रतिशत की लागू दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.20 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग/मंत्रालय का प्रतिउत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।*

मामला III सीआईटी प्रभार : सीआईटी (छूट), कोच्ची
स्थिति : कृत्रिम क्षेत्राधिकार वाला व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय कर पर 10 प्रतिशत की लागू दर पर अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 94.13 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को दिसम्बर 2019 में सुधार कर लिया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र सीआईटी-12, मुंबई
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में पुनर्निर्धारण आदेश में कर की माँग की संगणना करते समय, धारा 68 के तहत अघोषित आय पर 30 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 20 प्रतिशत की दर पर कर प्रभारित किया। इसके अलावा, मार्च 2014 में पूर्ण किए गए वास्तविक निर्धारण के दौरान ₹ 6.98 लाख तक की राशि को नियम 8डी के साथ पठित धारा 14ए के अन्तर्गत अननुमत किया गया जिसे पुनः निर्धारण के दौरान कुल आय की संगणना करते समय पुनः जोड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज सहित ₹ 4.99 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि अक्टूबर 2019 में लेखापरीक्षा आपत्ति को सुधार लिया गया था।* हालांकि माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

4.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां

हमने 16 राज्यों में ₹ 187.24 करोड़ के कर प्रभाव वाले 123 मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों को पाया। हमने अपनी अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसी त्रुटियों को लगातार उजागर किया है। जैसे, यह एक पुनरावर्ती और निरंतर होने वाली त्रुटि है। हमने ऐसे 15 निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान करता है। धारा 234ए निर्दिष्ट दरों पर तथा निर्दिष्ट समय अवधि के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने में चूक के परिणाम स्वरूप ब्याज उद्ग्रहण का प्रावधान करती है। धारा 234बी और निर्दिष्ट समय अवधि के लिए निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है। धारा 234सी निर्दिष्ट समय अवधि के लिए और निर्दिष्ट दरों पर अग्रिम कर की किश्तों के भुगतान में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, भुवनेश्वर
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2014-15 से 2017-18 तक

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक के लिए ₹ 3.35 करोड़ तक की राशि समेकित करते हुए धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके अलावा निर्धारण अधिकारी ने, ₹ 25.38 करोड़ के उद्ग्रह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 5.21 करोड़ (चार निर्धारण वर्षों के लिए) पर ब्याज उद्ग्रहित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.17 करोड़ का कम ब्याज उद्ग्रहण किया गया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारण अधिकारी ने, ₹ 89.50 लाख के उद्ग्रह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 2.81 करोड़ (चार निर्धारण वर्षों के लिए) पर ब्याज उद्ग्रहित किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.92 करोड़ के ब्याज का अधिक उद्ग्रहण हुआ। उपरोक्त त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 21.60 करोड़ के समेकित ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2020) और फरवरी 2020 में निर्धारण वर्ष 2014-15, जनवरी 2020 में निर्धारण वर्ष 2015-16, दिसम्बर 2020 में निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा जनवरी 2020 में निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए गलती में सुधार किया। हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

मामला II सीआईटी प्रभार : सीआईटी केन्द्रीय-3, दिल्ली
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 12.68 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के प्रति धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 7.32 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को अगस्त 2019 में सुधार लिया गया था।* हालांकि माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, दिल्ली
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, 93 महीनों के लिए ₹ 18.72 करोड़ के उद्ग्रहाय ब्याज के स्थान पर 24 माहीनों के लिए ₹ 4.83 करोड़ पर धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके अलावा, विभाग द्वारा 234सी के अन्तर्गत उद्ग्रहित ₹ 74.48 करोड़ का ब्याज निर्धारिती पर लागू करने योग्य नहीं था जैसाकि निर्धारिती द्वारा आय की रिटर्न दाखिल नहीं की गई थी। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 13.14 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा नवम्बर 2019 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया।* हालांकि माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी। (मई 2021)।

मामला IV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-1, कोल्हापुर
स्थिति : व्यक्ति
निर्धारण वर्ष : 2010-11

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 13.22 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 1.22 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 12 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा जनवरी 2019 में सुधारात्मक कार्रवाई की।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला V सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, दिल्ली
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने, नवम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 9.19 करोड़ के उद्ग्रह्य ब्याज के प्रति धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.40 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 36.94 लाख का ब्याज त्रुटिपूर्वक प्रभारित किया गया था। यद्यपि आय की रिटर्न निर्धारिती द्वारा दाखिल नहीं की गई थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 6.42 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा नवम्बर 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया।* हालांकि, सुधारात्मक आदेश पारित करते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 8.79 करोड़ के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 8.59 करोड़ का गलत रूप से उद्ग्रहण किया। जैसाकि अधिनियम की धारा 144 के साथ पठित धारा 147 के अन्तर्गत निर्धारण आदेश में पहले प्रभारित किया था। हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला VI सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-1, सूरत
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2010-11

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 5.04 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को अप्रैल 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधार लिया गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला VII सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-22, दिल्ली
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2009-10

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 6.45 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इसके अलावा धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 26.83 लाख का ब्याज निर्धारण अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्वक प्रभारित किया गया, यद्यपि आय की रिटर्न निर्धारिती द्वारा दाखिल नहीं की गई थी। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 6.19 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि*

लेखापरीक्षा आपत्ति अगस्त 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधार ली गई थी। हालांकि सुधार आदेश पारित करते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज के गलत उद्ग्रहण की गलती का सुधार नहीं किया। इसके अलावा, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला VIII सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, विजयवाड़ा
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2007-08

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, धारा 234ए तथा 234बी के अन्तर्गत प्रणाली द्वारा की गई ब्याज की गलत संगणना का सुधार करने में विफल रहा। आयकर प्रणाली ने धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 0.06 करोड़ के मुकाबले ₹ 0.94 करोड़ तथा धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.05 करोड़ के मुकाबले ₹ 0.08 करोड़ पर ब्याज की संगणना की। प्रणाली द्वारा किए गए ब्याज की संगणना को सही करने की निर्धारण अधिकारी की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 2.85 करोड़ ब्याज की राशि का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा जून 2019 में गलती का सुधार किया।* हालांकि, माँग के संग्रहण को स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला IX सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, दिल्ली
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 7.82 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 7.73 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने, ₹ 8.17 करोड़ उद्ग्रहाह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 2.11 करोड़ का ब्याज उद्ग्रहित किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 32.51 लाख का ब्याज त्रुटिपूर्वक प्रभारित किया, यद्यपि निर्धारिती द्वारा आय की रिटर्न दाखिल नहीं की गई थी। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 5.83 करोड़ ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा नवंबर 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया।* हालांकि सुधारात्मक आदेश को पारित करते समय निर्धारण अधिकारी ने, पुनः ₹ 7.81 करोड़ के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 7.64 करोड़ का ब्याज गलत रूप से उद्ग्रहित किया। माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला X सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-13, कोलकाता
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2012-13

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 2.25 करोड़ की राशि का धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को मार्च 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधारा गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला XI सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), कानपुर
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 1.64 करोड़ की उद्ग्रह्य राशि के स्थान पर ₹ 31.08 लाख पर धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज उद्ग्रहित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 1.33 करोड़ ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नवम्बर 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधारा गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला XII सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी -18, दिल्ली
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2010-11

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, ₹ 9.52 करोड़ के उद्ग्रह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 85.55 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 8.66 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को फरवरी 2019 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधारा गया था।* हालांकि, फरवरी 2019 में सुधारात्मक आदेश पारित करते समय, निर्धारण अधिकारी ने, पुनः ₹ 9.52 करोड़ के उद्ग्रह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 9.30 करोड़ का ब्याज गलत रूप से उद्ग्रहित किया। इसके अलावा धारा 234सी के अन्तर्गत ₹ 39.57 लाख का ब्याज भी गलत रूप से प्रभारित किया। हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला XIII सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-1, चेन्नई
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2013-14

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, ₹ 1.21 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के स्थान पर धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 4.1 लाख का ब्याज उद्ग्रहित किया। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 1.17 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा जनवरी 2021 में धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया गया।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला XIV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-2, रायपुर
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2010-11

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया। इस गलती के परिणामस्वरूप धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 38.85 लाख के ब्याज का गैर-उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया तथा बताया (अक्टूबर 2019) कि सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।* हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला XV सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी केन्द्रीय, कानपुर
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12

निर्धारण अधिकारी ने, जुलाई/अगस्त 2017 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 1.78 करोड़, ₹ 0.91 करोड़ तथा ₹ 1.01 करोड़ के उद्ग्राह्य ब्याज के प्रति धारा 234ए(1) के अन्तर्गत ₹ 0.0048 लाख, ₹ 0.0038 लाख तथा शून्य ब्याज उद्ग्रहित किया। गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 3.70 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया (मई 2019) कि लेखापरीक्षा आपत्ति को अप्रैल 2019 में सुधार लिया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

4.2.5 अपीलीय आदेशों को प्रभाव देते समय निर्धारण में त्रुटियां

हमने दो राज्यों में, ₹ 0.69 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में अपीलीय आदेशों को प्रभाव देते समय निर्धारणों में त्रुटियों को पाया। हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 254 यह प्रावधान करती है कि अपीलीय न्याधिकरण, अपील के दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है जैसाकि वह उचित समझे। इसके अलावा, आयकर विभाग के कार्यालयी प्रक्रिया नियमावली (खंड-II, तकनीकी) के अध्याय 18 के पैरा 24.1 में यह प्रावधान है कि निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में अपीलीय आदेश प्राप्त होने पर, आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्धारण को संशोधित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, रांची
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2009-10

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2016 में अपीलीय आदेश को प्रभाव देते समय, ₹ 1.10 करोड़ की उद्ग्राह्य राशि के स्थान पर ₹ 66.43 लाख के कर की त्रुटिपूर्वक संगणना की। इस चूक के परिणामस्वरूप, ब्याज सहित ₹ 43.70 लाख के कर का कम उद्ग्राहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को अक्टूबर 2017 में सुधारा गया था।* हालांकि, माँग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 यह अधिनियम, अध्याय VI-ए के अन्तर्गत कुल आय की संगणना करने में तथा इससे संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए निर्धारिती को रियायत/छूट/कटौती को अनुमत करता है। हमने यह पाया कि, निर्धारण अधिकारी ने, अयोग्य लाभकर्ताओं को कर रियायत/छूट/कटौती के अनियमित लाभों को विस्तारित किया। निम्न तालिका 4.2 उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसमें कर रियायत/छूट/कटौती को प्रभावित किया है।

तालिका 4.2: कर रियायत/छूट/कटौती के प्रशासन के अन्तर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	02	1.66	गुजरात
ख. एओपी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	03	2.85	यूटी-चंडीगढ़, गुजरात और ओडिशा
ग. करोबार व्यय की गलत अनुमति	02	1.11	महाराष्ट्र और ओडिशा
घ. मूल्यहास/करोबार हानि/पूँजीगत हानि की अनुमति देने में अनियमितताएं	11	27.83	दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु
कुल	18	33.45	

4.3.2 व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

हमने एक राज्य में ₹ 1.66 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत को पाया। हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 10(37) के अनुसार एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार होने के नाते, पिछले वर्ष की कुल आय की संगणना करने में, निम्नलिखित खंडों में से किसी के भीतर आने वाली कृषि भूमि के हस्तांतरण से उत्पन्न "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य आय को शामिल नहीं किया जाएगा- (i) ऐसी भूमि किसी भी क्षेत्र में स्थित है जिसे उप-खंड के मद (ए) या मद (बी) iii) धारा 2 के खंड (14) में संदर्भित किया गया है। (ii) ऐसी भूमि, हस्तांतरण की तारीख से तत्काल दो वर्षों की अवधि के दौरान, ऐसे हिंदू अविभाजित परिवार या व्यक्ति या उसके माता-पिता द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही थी; (iii) इस तरह का हस्तांतरण किसी कानून के तहत अनिवार्य अधिग्रहण के माध्यम से होता है, या एक हस्तांतरण है जिसके लिए विचार केंद्र सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित या अनुमोदित किया जाता है; (iv) ऐसी आय 1 अप्रैल, 2004 के पहले दिन या उसके बाद ऐसे निर्धारिती द्वारा प्राप्त ऐसे हस्तांतरण के लिए मुआवजे या विचार से उत्पन्न हुई है।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-5, अहमदाबाद
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, निर्धारिती को अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में, कृषि भूमि की बिक्री से प्राप्त लाभ के कारण ₹ 2.75 करोड़ तक की राशि की छूट को अनुमत किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 85.24 लाख के कम कर के उद्ग्रहण के परिणाम के साथ ₹ 2.62 करोड़ का दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ का

निर्धारण हुआ। विभाग ने सूचित किया (मार्च 2021) कि धारा 263 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

4.3.3 एओपी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

हमने, तीन राज्यों में ₹ 2.85 करोड़ के कर प्रभाव वाले तीन मामलों में एओपी/फर्म/सोसायटी/ट्रस्ट को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत को पाया। हमने ऐसा एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित बैंक द्वारा किए गए अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध (भारत के बाहर देश के कानून द्वारा या उसके तहत शामिल बैंक नहीं होना) या प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा एक गैर-अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक, इस खंड और अध्याय VI के तहत कोई कटौती करने से पहले संगणना की गई कुल आय का 7.5 प्रतिशत से अधिक राशि और निर्धारित तरीके से संगणना किए गए ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिम के 10 प्रतिशत से अधिक राशि को कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, कटक
स्थिति : कॉर्पोरेटिव सोसाइटी
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, नवम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 1.28 करोड़ के अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के प्रावधानों को स्वीकृत किया जैसा कि निर्धारिती द्वारा दावा किया गया। हालांकि, निर्धारिती, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल ₹ 12.08 लाख की कटौती के लिए योग्य था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 54.97 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 1.16 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने सूचित किया (मार्च 2019) कि अधिनियम की धारा 263 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई थी। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

4.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने दो राज्यों में ₹ 1.11 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में कारोबार व्यय की गलत अनुमति को पाया। हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

अधिनियम की धारा 37(1) के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं है और पूंजीगत व्यय निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं है), पूरी तरह से निर्धारित या व्यय किया गया है और विशेष रूप से कारोबार या पेशे के प्रयोजनों के लिए, "कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के तहत प्रभाष्य आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी 19, मुम्बई
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2009-10

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय विशिष्ट पार्टियों से की गई खरीद को अननुमत किया क्योंकि ये पार्टियां आवास प्रविष्टियां उपलब्ध कराने में शामिल थीं। हालांकि, निर्धारण अधिकारी श्रम प्रभारों के लिए उन्हीं पार्टियों को भुगतान किए गए ₹ 74 लाख के व्यय को अननुमत करने में विफल रहा क्योंकि पार्टियां कोई वास्तविक कारोबार नहीं कर रही थीं। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 48.55 लाख के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 74 लाख की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अक्टूबर 2019 में धारा 154 के अधीन गलती को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

4.3.5 मूल्यहास/कारोबार हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएं

हमने सात राज्यों में ₹ 27.83 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों में मूल्यहास/कारोबार हानि/पूंजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताओं को पाया। हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं।

सीबीडीटी ने निर्देश सं. 09/2007 दिनांक 11.09.2007 द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बोर्ड के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं जिनमें मूल्यहास की गलत अनुमति अग्रणी हानि के गलत समंजन के कारण राजस्व की पर्याप्त हानि हुई है। इसलिए, निर्धारण अधिकारियों को भौतिक अभिलेखों के संदर्भ में संवीक्षा निर्धारण करते समय आवश्यक सत्यापन करना चाहिए और अनावशेषित मूल्यहास सहित हानियों से संबंधित दावों को निर्धारण अभिलेखों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि अग्रणी हानियों और मूल्यहास के दावों की अनुमति की शुद्धता सुनिश्चित हो सके।

मामला I सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी केन्द्रीय, बेंगलुरु
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में अग्रेषित हानि के समंजन की अनुमति दी यद्यपि उस निर्धारण वर्ष के लिए कोई हानि उपलब्ध नहीं थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 12.32 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 26.44 करोड़ की हानि का अधिक समंजन हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और अक्टूबर 2019 में धारा 154 के तहत गलती को सुधारा।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

अधिनियम की धारा 32 में प्रावधान है कि यदि परिसंपत्तियों के ब्लॉक के अंदर आने वाली कोई परिसंपत्ति निर्धारिती द्वारा पिछले वर्ष के दौरान अधिग्रहित की जाती है और यह, उस पिछले वर्ष में 180 दिनों से कम की अवधि के लिए कारोबार या पेशे के उद्देश्य के लिए उपयोग में लायी जाती है, ऐसी परिसंपत्तियों से संबंध में कटौती, ऐसी परिसंपत्ति वाले परिसंपत्तियों के ब्लॉक के मामले में निर्धारित प्रतिशत पर गणना की गई राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित होगी।

मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-II भुवनेश्वर
स्थिति : एओपी
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 12.27 करोड़ के मूल्यहास की उपलब्ध राशि के बजाय ₹ 19.17 करोड़ तक की राशि की परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की अनुमति प्रदान की। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.75 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 6.90 करोड़ के अधिक मूल्यहास की अनुमति दी गई। *विभाग ने सूचित किया कि जून 2019 में धारा 154 के तहत लेखापरीक्षा आपत्ति को सुधारा गया था।* हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

मामला III सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-16, मुम्बई
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय निर्धारण वर्ष 2013-14 से संबंधित ₹ 23.60 करोड़ की अग्रेषित हानि के

समंजन की अनुमति प्रदान की यद्यपि निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए उपलब्ध हानि केवल ₹ 13.56 करोड़ थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 10.04 करोड़ के अग्रेणित हानि के समंजन की अधिक अनुमति दी गई और फलस्वरूप ₹ 3.41 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 10.04 करोड़ आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि गलती स्पष्ट थी और फरवरी 2020 में धारा 154 के तहत सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की थी। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

4.4 त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूटी हुई आय

4.4.1 यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए व्यक्ति की कुल आय में सभी आय शामिल होगी, चाहे किसी स्रोत से प्राप्त हुई हो, वास्तव में प्राप्त हुई हो या उपार्जित हुई या प्राप्त हुई या उपार्जित समझी जाए। हमने यह देखा कि निर्धारण अधिकारी ने उस कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया जो कर के लिए प्रस्तावित की जानी थी। नीचे दी गई तालिका 4.3 उप श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप आय, निर्धारण से छूट गई।

तालिका 4.3: त्रुटियों के कारण निर्धारण से छूटने वाली आय के तहत त्रुटियों की उप-श्रेणियां			
उप-श्रेणियां	सं.	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)	राज्य
क. पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना	05	8.26	आंध्र प्रदेश, यूटी-चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान
ख. आय की गलत संगणना	19	19.36	दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
ग. टीडीएस/टीसीएस के कार्यान्वयन प्रावधानों में त्रुटियां	01	0.19	झारखंड
घ. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट	04	4.80	हरियाणा और महाराष्ट्र
कुल	29	32.61	

4.4.2 पूंजीगत लाभों की गलत वर्गीकरण और संगणना

हमने, पांच राज्यों में ₹ 8.26 करोड़ के कर प्रभाव वाले पांच मामलों में पूंजीगत लाभ की गलत वर्गीकरण और संगणना को पाया। हमने एक निदर्शी मामला नीचे दिया है:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 एफ यह प्रावधान करती है कि जहां आवासीय घर न होते हुए किसी दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ और निर्धारिती के पास, उस तिथि से एक वर्ष पूर्व या दो वर्ष के बाद की अवधि के भीतर जिसमें हस्तांतरण हुआ, खरीदा गया, अथवा उस तिथि के बाद तीन वर्षों की अवधि के भीतर एक आवासीय घर का निर्माण किया गया, इस प्रकार उत्पन्न पूंजीगत लाभ की राशि को कुछ शर्तों के अधीन कर प्रभारित नहीं किया जाएगा।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, गुंटूर
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2014-15

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में खाली निर्माण स्थल की खरीद में निवेश के लिए निर्धारिती को ₹ 14.34 करोड़ की कटौती की अनुमति प्रदान की। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 5.10 करोड़ के कर को पारिणामिक कम उदग्रहण के साथ ₹ 14.34 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) का कम निर्धारण हुआ। विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और दिसम्बर 2018 में धारा 147 के तहत गलती को सुधारा। हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

4.4.3 आय की गलत संगणना

हमने 10 राज्यों में ₹ 19.36 करोड़ के कर प्रभाव वाले 19 मामलों में आय की गलत संगणना देखी । हमने तीन निदर्शी मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 143(3) यह प्रावधान करती है कि संवीक्षा निर्धारण में निर्धारण अधिकारी (ऐओ) को चाहिए कि वह निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करें और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय या उसे प्रतिदाय योग्य सही राशि को निर्धारित करें। धारा 56(2)(vii)(ख) यह प्रावधान करती है कि जहां एक व्यक्ति प्रतिफल के लिए किसी अचल संपत्ति से आय प्राप्त करता है जो कि पचास हजार रुपये से अधिक राशि तक की स्टॉम्प शुल्क मूल्य से कम की संपत्ति होती है, ऐसी संपत्ति का स्टॉम्प शुल्क मूल्य, जैसा कि ऐसे प्रतिफल से अधिक होती है, अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के तहत आयकर के लिए प्रभारित होगी।

मामला I सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-1, कानपुर
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, नवम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय संपत्ति के स्टॉम्प शुल्क मूल्य के अनुसार और विक्रय विलेख के अनुसार संपत्ति का मूल्य राशि के अंतर को पुनः नहीं जोड़ा। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.17 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 9.29 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को दिसम्बर 2019 में धारा 147/143(3) के तहत सुधार लिया था। हालांकि मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी केन्द्रीय-2, दिल्ली
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय आवास प्रविष्टियों के तहत किए गए ₹ 4.66 करोड़ की वृद्धि को शामिल नहीं किया जिसकी चर्चा, निर्धारण आदेश में की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.31 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित समान राशि तक की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नवम्बर 2019 में धारा 154 के तहत सुधार लिया था। हालांकि मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

मामला III सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी, उदयपुर
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, नवम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय संपत्ति के स्टॉम्प शुल्क मूल्य और विक्रय विलेख के अनुसार संपत्ति मूल्य के अनुसार राशि के अंतर को पुनः नहीं जोड़ा। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 4.28 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 9.51 करोड़ तक की आय का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्धारिती को धारा 148 के तहत मई 2019 में नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, सुधारात्मक कार्रवाई की पूर्णता की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

4.4.4 टीडीएस/टीसीएस के कार्यान्वयन प्रावधानों में त्रुटि

हमने झारखंड राज्य में ₹ 0.19 करोड़ के कर प्रभाव वाले एक मामले में टीडीएस/टीसीएस के कार्यान्वयन प्रावधानों में त्रुटियों को पाया। निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

अधिनियम की धारा 194सी के अनुसार, यदि किसी राशि को, मालवाहक को चलाने के लिए किराए पर या पट्टे पर लेने वाले वाहनों के कारोबार के दौरान उप-ठेकेदार को भुगतान किया जाता है तो किसी कर की कटौती नहीं होगी यदि (क) पिछले वर्ष किसी भी समय पर उप-ठेकेदार के पास दस मालवाहक से ज्यादा उपलब्ध नहीं थे, (ख) उप-ठेकेदार ने फॉर्म सं. 151 में भुगतानकर्ता को एक घोषणा प्रस्तुत की हो और (ग) भुगतानकर्ता ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून तक या उससे पूर्व फॉर्म सं. 151 में नामित सीआईटी को उपरोक्त भुगतान के विवरण प्रस्तुत किए हो।

मामला । सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी, राँची
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2013-14

निर्धारण अधिकारी ने, मार्च 2016 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय परिवहन प्रभार के प्रति ₹ 46.51 लाख का खर्च त्रुटिपूर्ण अनुमत किया जिस पर निर्धारिती ने स्रोत (टीडीएस) पर कर की कटौती नहीं की थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 19.41 लाख के कर प्रभाव सहित समान राशि तक खर्च की अनियमित अनुमति दी गई। विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को नवम्बर 2018 में धारा 147/143(3) के तहत सुधारा। हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।

4.4.5 अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट

हमने दो राज्यों में ₹ 4.80 करोड़ के कर प्रभाव वाले अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट से संबंधित चार मामलों को पाया। दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 68 यह प्रावधान करती है कि जहां कोई राशि किसी पिछले वर्ष के लिए अनुरक्षित किसी निर्धारिती के लेखों में क्रेडिट की पाई गई है, और निर्धारिती उसकी प्रकृति और स्रोत के विषय में कोई स्पष्टीकरण न दे पाए या उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण, निर्धारण अधिकारी के मतानुसार संतोषजनक न हो, तो इस प्रकार क्रेडिट की गई राशि, उस पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती की आय के रूप में आयकर के लिए प्रभारित की जा सकेगी।

मामला I सीआईटी प्रभार : सीआईटी, गुरुग्राम
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 5.00 करोड़ के अस्पष्टीकृत क्रेडिट को वापस जोड़ने के बजाय अस्पष्टीकृत क्रेडिट के लिए निर्धारिती की आय में ₹ 3.50 करोड़ जोड़े। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.50 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ और ₹ 69.04 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2019) कि ₹ 25 लाख की वृद्धि करने के द्वारा अगस्त 2018 में धारा 154 के तहत त्रुटि को आंशिक रूप से सुधारा गया और शेष भाग का धारा 147 के तहत पुनः निर्धारण किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रालय/आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।*

मामला II सीआईटी प्रभार : पीसीआईटी-19, मुम्बई
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 5.88 करोड़ की अस्पष्टीकृत आय को वापस जोड़ने के बजाय अस्पष्टीकृत आय के प्रति निर्धारिती की आय में ₹ 0.84 करोड़ वापस जोड़े, जैसे कि निर्धारण आदेश में चर्चा की गई है। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के तहत ब्याज सहित ₹ 2.28 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 5.04 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा आपत्ति को फरवरी 2019 में धारा 154 के तहत सुधारा गया। हालांकि, मांग के संग्रहण की स्थिति प्रतीक्षित थी (मई 2021)।*

4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में ₹ 24.88 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार नौ मामलों में आय के अधिक निर्धारण को पाया। हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिए हैं।

धारा 143(3) यह प्रावधान करती है कि निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की कुल आय या हानि के सही निर्धारण और कर या प्रतिदाय की सही राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जैसा भी मामला हो।

मामला I सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-10, दिल्ली
स्थिति : व्यष्टि
निर्धारण वर्ष : 2015-16

निर्धारण अधिकारी ने, दिसम्बर 2017 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 18.86 लाख के उदग्रहण योग्य ब्याज के बजाय धारा 234सी के तहत ₹ 5.09 करोड़ के ब्याज का उदग्रहण किया। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 4.90 करोड़ के ब्याज का अधिक उदग्रहण हुआ। *विभाग ने सूचित किया कि मार्च 2019 में अपीलीय आदेश के प्रभाव को अनुमति देते समय धारा 234सी के तहत ब्याज को ₹ 5.09 करोड़ से ₹ 0.05 लाख तक कम किया गया।* हालांकि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि अपीलीय आदेश को प्रभावी करते समय निर्धारण अधिकारी ने ₹ 18.86 लाख के ब्याज के उदग्रहण के बजाय धारा 234सी के तहत ₹ 0.05 लाख पर ब्याज का उदग्रहण किया। इसके अलावा मंत्रालय/आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

मामला II सीआईटी प्रभार : प्र. सीआईटी-3, जयपुर
स्थिति : फर्म
निर्धारण वर्ष : 2016-17

निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2018 में निर्धारण को अंतिम रूप देते समय ₹ 1.61 करोड़ के बजाय ₹ 2.63 करोड़ पर निर्धारित की गई आय को अपनाया। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 32.33 लाख के कर के अधिक प्रभार सहित ₹ 1.02 करोड़ तक की आय का अधिक निर्धारण हुआ। *विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और जून 2020 में धारा 154 के तहत गलती को सुधारा।*

4.6 सिफारिशें

(i) कर और अधिभार की गलत दरों के लागू करने, ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियां, अधिक या अनियमित प्रतिदाय आदि आयकर विभाग में आंतरिक नियंत्रणों की कमजोरी के बिन्दु हैं जिन्हें संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) जबकि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए मामलों में सुधार आरंभ करने के लिए कार्रवाई की है, यह उल्लेख किया जा सकता है कि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किए गए निदर्शी मामलों में ये केवल कुछ ही हैं। सभी निर्धारणों के संपूर्ण यूनिवर्स में, गैर-संवीक्षा निर्धारण सहित, भूल या चूक की ऐसी त्रुटियों से इंकार नहीं किया जा सकता है। सीबीडीटी को न केवल

अपने निर्धारणों पर दोबारा ध्यान देने की आवश्यकता है, बल्कि भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एक पूर्णतः सुरक्षित आईटी प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है।

(iii) सीबीडीटी इस बात की जांच कर सकता है कि क्या पाई गई "त्रुटियों" के मामले, भूल या चूक की त्रुटियां हैं और यदि ये चूक की त्रुटियां हैं तो आयकर विभाग को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।



नई दिल्ली
दिनांक: 6 अगस्त 2021

(मौनिका वर्मा)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर-1)

प्रतिहस्ताक्षरित



नई दिल्ली
दिनांक: 23 अगस्त 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

